वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर
(जिला योजना कार्यालय)
अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत श्री राम विलास पासवान, माननीय मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में 42 अदद् दिव्यांग लाभुकों को तिपहिया स्कूटर (मोटर युक्त) क्रय कर उपलब्ध कराया जाना है। उक्त के आलोक में अधिकृत इच्छुक निर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओं से दिनांक 24.11.17 को 1:00 बजे अपराह्न तक द्वि- लिफाफा पद्धति में तकनीकी एवं वितीय पुनर्निविदा आमंत्रित की जाती है एवं उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के प्रकोष्ठ में निविदाये क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। जिसमें निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना जिले के बेवसाईट www.vaishali.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।

(क) तकनीकी निविदा

I संस्थान का विस्तृत विवरण, निबंधन संख्या, स्थानीय स्थाई पता सहित संलग्न करना होगा।

II निविदादाता को उपर्युक्त तिपहिया वाहन (स्कूटर) के अधिकृत एवं निबंधित विक्रेता से संबंधी पत्र की प्रति संलग्न करना होगा।

III G.S.T. (वस्तु एवं सेवा कर) अधिनियम के अन्तर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र।

IV निविदादाता को तीन वित्तीय वर्षो का आयकर रिटर्न की प्रति एवं पैन कार्ड की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

V निविदादाता को तीन साल का अद्यतन अंकेक्षित बैलेंस सीट की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।

VI निविदादाता को कम से कम प्रति वर्ष 50 लाख रूपये/ तीन साल का टर्न-ओभर होने का कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा।

VII निविदादाता को किसी फौजदारी या दीवानी मामलों में मुकदमा लंवित नही होने एवं काली सूची में दर्ज नहीं होने से संबंधित नोटरी पब्लिक/ कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र मूल में देना होगा।

VIII निविदा के साथ अग्रधन की राशि (**Earnest Money**) के रुप में मो0- 30000.00 (तीस हजार) रू0 का डिमांड ड्राफ्ट (**Refundable**) जो जिला योजना पदाधिकारी, वैशाली के पदनाम से जारी हो एवं हाजीपुर में भुगतेय हो, संलग्न होना चाहिए।

IX निविदादाता को इस आशय का घोषणा-पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्ते मान्य है।

(ख) वितीय निविदा

1. वितीय निविदा में तिपहिया वाहन (स्कूटर) का नाम एवं विशिष्टियों के साथ अंकित करते हुए दर सभी करों (Registration एवं insurance) के साथ अंकित करना होगा।

2. अन्य शर्ते

I तकनीकी वितीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में, जिन पर तकनीकी एवं वितीय निविदा दर्शाया हुआ हो, एक तीसरे बड़े लिफाफे में रखते हुए मुहरबंद कर देना होगा तथा लिफाफों के उपर वितीय/ तकनीकी निविदा अलग-अलग अंकित होगी।

II तकनीकी रुप से स्वीकृत निविदादाताओं की ही वितीय निविदा खोली जायेगी।

III किसी प्रकार का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र हाजीपुर होगा।

IV निविदादाता को अपना पुरा पता मो0- नं0/ दूरभाष संख्या का उल्लेख निविदा में करना होगा।

V आवश्यक करों की कटौती के बाद ही भुगतान किया जायेगा।

VI निविदा निबंधित डाक/स्पीडपोस्ट या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाथों-हाथ निर्धारित समय तक प्राप्त की जायेगी। त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित तिथि/ समय के बाद प्राप्त निविदा स्वीकार नही होगा।

VII तिपहिया वाहन (स्कूटर) क्रय हेतु निर्धारित राशि पर सक्षम प्राधिकार से कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर ही कायदिश निर्गत किया जायेगा। सफल निविदादाता को स्वीकृत दर पर ही तिपहिया वाहन (स्कूटर) की आपूर्ति करनी होगी। समय अंतराल के कारण मूल्य वृद्धि का दावा स्वीकार नहीं होगा।

VIII स्वीकृत निविदादाता को कायदिश निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर तिपहिया वाहन (स्कूटर) आपूर्ति करना होगा। ससमय आपूर्ति नहीं करने पर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।

IX निविदादाता को आपूर्ति **F.O.R Destination** पर वैशाली समाहरणालय में करना होगा एवं उसके लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी। साथ ही यातायात के दौरान किसी प्रकार के नुकसान एवं क्षति की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी।

X अधोहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

XI आपूर्ति की जानेवाली सामग्रियों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जायगा।

XII आपूर्ति की जानेवाली तिपहिया स्कुटर (मोटर युक्त) पर "सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत श्री राम विलास पासवान, माननीय मंत्री द्वारा वित्त संपोषित" तिपहिया स्कुटर (मोटर युक्त) के दोनो तरफ लिखवाना अनिवार्य होगा।

XI वाहनों (तिपहिया) की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
वैशाली।